# निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (डी–डीजीएस / 1213) / अलेसे– ।। / 428 दिनांक :– 12/8/21

## कार्यालय आदेश

श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। को विभागीय आदेश क्रमांक 2508 दिनांक 22.03.2017 द्वारा दिनांक 04.03.2017 से निलंबित किया गया था। वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यवाही विवरण कमांक प.2(3)वित्त / राजस्व / 2014 दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा कमांक प.6(23) प्रसु. / अनु–3 / 99 दिनांक 12.01.2011 के कम में निलंबन से बहाल किये जाने की सिफारिश की अनुपालना में श्री दीपक गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। को विभागीय आदेश कमांक 337 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा निलंबन से बहाल किया गया।

माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या–1, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा अपराध संख्या 110 / 2016 में अंतिम प्रतिवेदन (तथ्य की भूल) स्वीकार किया गया है तथा अपराध संख्या 109 / 2016 में आदेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा अंतिम प्रतिवेदन अस्वीकार कर प्रसंज्ञान लिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पत्र दिनांक 07.07.2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्री गोयल की अपराध संख्या 109 / 2016 में आपराधिक भूमिका नहीं पाई जाने पर ब्यूरो द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है तथा श्री गोयल के निलंबित काल के निर्णय पर कोई आपत्ति नही है। अतः श्री गोयल की दिनांक 04.03.2017 से 10.08.2020 तक के निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल मानते हुए उक्त अवधि के समस्त वेतन भत्तों (निलंबन काल में भुगतान किए गए निर्वाह भत्ता को घटाते हुए) के भुगतान की स्वीकृति एतद्वारां प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (डी–डीजीएस / 1213) / अलेसे– ।। / 426 दिनांक :– 12-8-21

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर।
3. श्री दीपक गोयल, स.ले.अ. ग्रेड–।। कार्यालय कोषालय (शहर) जोधपुर।
4. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–।।)